संख्या 13/7/99/का-1-1999

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
उ0 प्र0 शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उ0 प्र0।

लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 1999

विषय :—उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत लघु दण्ड के रूप में प्रदत्त परिनिन्दा (सेन्सर) के औपचारिक आदेश में "परिनिन्दा" का ही अंकन किया जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

ऐसा पाया गया है कि राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड स्वरूप परिनिन्दा (सेन्सर) का दण्ड दिये जाने के लिए जो आदेश निर्गत किये जाते हैं उसमें बहुधा "भर्त्सना प्रविष्टि"/"परिनिन्दा प्रविष्टि" (सेन्सर) या "निन्दा प्रविष्टि" देने का उल्लेख किया जाता है, जबकि वास्तव में उसे "परिनिन्दा" ही अंकित किया जाना चाहिए।

2—इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में "परिनिन्दा" (सेन्सर) को लघु दण्ड की श्रेणी में रखा गया है। अस्तु, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिनिन्दा (सेन्सर) के दण्ड हेतु जो औपचारिक आदेश निर्गत किया जाये उसमें यह अंकित किया जाना चाहिए कि सम्बन्धित अधिकारी को परिनिंदित किया जाता है। ऐसे आदेश की प्रति चरित्र पंजी में रखी जाएगी।

भवदीय;
सुधीर कुमार,
सचिव।

———

संख्या 13/7/99/का-1-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
2—सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0 प्र0।
4—सचिव लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उ0 प्र0।
5—निदेशक, उ0 प्र0 प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
के0 एम0 लाल,
विशेष सचिव।

बी0एस0 यू0पी0- ए0 पी0 14 सा0 नियुक्ति-29-9-99-(1181)—1999—2,000 (मेकै0)।